



दूरध्वनी : ०२२-२२६७२५३९

ई-मेल : [mhsahityaacademy@gmail.com](mailto:mhsahityaacademy@gmail.com)



महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी



ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला,  
शहिद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०० ००९.

## ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

### योजना का उद्देश्य :

सिंधी भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देना तथा सिंधी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और उस साहित्य को सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

### योजना का स्वरूप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णतः विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रूप में भेजना आवश्यक है।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाद्वारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियाँ विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश सिंधी लिपी (देवनागरी और अरेबिक दोनों लिपी) में प्रकाशित करना अनिवार्य है।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के “पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना” के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे सिंधी साहित्यकार पात्र होंगे। (अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।)
- किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार के अनुदान से प्रकाशित होनेवाली किताब को इस योजनातर्गत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा। पुनःमुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा।

- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।  
कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी-आत्मकथा, समीक्षा, लोकसाहित्य, निबंध, लघुकथा, नाटक/ एकांकिका, ललित और बालसाहित्य आदि।

#### **अनुदान का स्वरूप :**

- अकादमी की समितिद्वारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार द्वारा जोड़े हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरूप में प्रदान की जाएगी ।